देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन,
इंदौर – 452 001

क्रमांकः गोपनीय / प्रा.प / 2025 / 1268 /   दिनांकः– 03 SEP 2025

प्रति,
प्राचार्य,
प्रधनाचार्य / प्रधानाचार्या / निदेशक,
समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर / धार / झाबुआ / खण्ड़वा / खरगोन / बड़वानी / बुरहानपुर / अलीराजपुर.

विषय :– नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत वर्ष 2024–2025 के स्नातक स्तर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (परम्परागत एवं स्ववित्त पाठ्यक्रम) के पूरक प्राप्त विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में सूचित किया जाता हैं कि स्नातक स्तर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के **पूरक प्राप्त** विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा सम्पन्न की जाना है। वर्तमान सत्र 2024–25 स्नातक स्तर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक परीक्षा जिन बाह्य परीक्षकों के पैनल से संपन्न कराई गई थी , क्रमशः स्नातक स्तर के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की **पूरक** प्रायोगिक परीक्षा कार्य भी उन्ही परीक्षकों द्वारा सम्पन्न कराया जाना है। तद्नुसार महाविद्यालय स्तर पर कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें।

यदि किसी कारण से किसी परीक्षक द्वारा प्रायोगिक परीक्षा हेतु असमर्थता प्रकट की जाती है तो आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय को पत्र के माध्यम से /ई–मेल आईडी soconf.1958@gmail.com पर सूचित करें। पत्र पर संबंधित महाविद्यालय की ई–मेल आई.डी अवश्य अंकित करें। महाविद्यालय स्तर पर किसी भी परिस्थिति में परीक्षक नियुक्त नहीं करें। **विशेष टीप** –प्रायोगिक परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त परीक्षक से ही सम्पन्न कराई जायें, अन्यथा परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी। जिसकी सम्पूर्ण जबाबदारी संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी।

आदेशानुसार

परीक्षा नियंत्रक